



हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
राजस्व वाद संख्या 12/2018  
अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीए

नम्बर व तारिख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामिल में  
जारी हुए

29.08.2019

वादीगण/अभिभाषकगण द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण की पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 17.10.2019 से आज ही तलब करवाने तथा प्रकरण को नोट प्रेस करने का प्रस्तुत किया गया। जिस पर पत्रावली तलब होकर हमारे समक्ष पेश हुई। वादीगण/अभिभाषकगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीगण उक्त प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं तथा वाद को नोट प्रेस करना चाहते हैं वादीगण स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए जिन्होंने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वाद को नोट प्रेस में निरस्त किये जाने का निवेदन किया तथा आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये जिन्हें उनके अभिभाषक श्री सुण्डाराम जाट ने पहचाना तथा पहचान स्वरूप अपने हस्ताक्षर अंकित कर वाद को नोट प्रेस किये जाने का अनुरोध किया। वादीगण/अभिभाषक को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। स्वयं वादीगण व उनके अभिभाषक स्वेच्छा से वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं वाद का निस्तारण नोट प्रेस में किये जाने का अनुरोध किया गया है जो स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद इसी स्तर पर नोट प्रेस में खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
सहायक कलक्टर (मु०)  
अजमेर

  
29/8/19